रजि. सं. डी. एल-33001/92
REGISTERED NO. DL-33001/92

केन्द्रीय सचिवालय ग्रन्थागार
CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
GOVT. OF IND
भारत सरकार

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 8, 1992/श्रावण 17, 1914
No. 32] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 8, 1992/SRAVANA 17, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1992

का. आ. 2071—केन्द्रीय सरकार दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा-24 की उप-धारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा बम्बई के एडवोकेट श्री पी. आर. नामजोशी और श्रीमती तेजा डी. कटदारे को विशेष न्यायालय (प्रतिभूतियों के लेनदेन से संबंधित अपराधों का परीक्षण) अध्यादेश, 1992 (1992 का 10) के अंतर्गत नियुक्त विशेष जज के समक्ष प्रतिभूति घोटाले, बिल भुनाने संबंधी घोटाले, मांग-राशि घोटाले तथा भ्रष्टाचार के संबंध में और/अथवा इससे उत्पन्न सभी मामलों के संचालन के प्रयोजन से और बम्बई के परीक्षण, अपील और पुनरीक्षण न्यायालयों में उनसे संबंधित सभी मामलों के संचालन के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है।

[सं. 225/8/92—ए. वी. डी-II (ii)]

ए. सी. शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 23rd July, 1992

S.O. 2074.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri P. R. Namjoshi and Smt. Teja D. Katdare, Advocates, Bombay as Special Public Prosecutors for the purpose of conducting all cases arising out of and/or in connection with frauds, bills discounting frauds, call money frauds and corruption before the Special Judge appointed under the Special Court (Trial of Offences relating to Transactions in Securities) Ordinance, 1992 (No. 10 of 1992) and also for conducting all cases in connection therewith in trial, appellate and revisional Courts at Bombay.

[No. 225/8/92-AVD II(ii)]

A. C. SHARMA, Under Secy.

1891 GI/92—1

New Delhi, the 24th July, 1992

S.O. 2080.—In exercise of powers conferred by sub-clause (xvi) of clause (c) of Section 2 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (15 of 1948), the Central Government hereby specifies the development, maintenance and construction of roads as an activity for the purposes of the said sub-clause.

[F. No. 1(76)/89/IF-I]
H. S. KUMAR, Director

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1992

का. आ. 2081.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स थेरा-प्यूटिक्स केमिकल रिसर्च कार्पोरेशन, हमीद मेंशन, 27 मोरे स्ट्रीट, मद्रास-600001 को यहां उससे उपाबंध अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिज तथा अयस्क ग्रुप-1 व ग्रुप-2 का निर्यात से पूर्व निरीक्षण करने के लिए तारीख 10 मई, 1991 से तीन वर्ष की अवधि के लिए इन शर्तों के अधीन अभिकरण के रूप में मान्यता देती है, कि उक्त अभिकरण खनिज तथा अयस्क ग्रुप-1 व ग्रुप 2 के निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 के नियम 4 के उपनियम (4) के अधीन निर्यात निरीक्षण परिषद् के किसी भी अधिकारी को निरीक्षण प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए उक्त अभिकरण द्वारा अपनाई गई निरीक्षण प्रणाली की जांच करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं देगा।

अनुसूची

खनिज तथा अयस्क (ग्रुप - 1)

1. मैंगनीज अयस्क, मैंगनीज डायक्साइड रहित
3. आयरन अयस्क,
3. फैरोमैंगनीज स्लेग सहित।
4. बाक्साइड, कैल्सिड बाक्साइड सहित ।

खनिज तथा अयस्क (ग्रुप-II)

1. मैंगनीज डायक्साइड,
2. क्रोम अयस्क, क्रोम चूर्ण सहित,
3. कायनाइट,
4 सिलिमेनाइट,
5. संकेन्द्रित जिंक सहित कच्चा जिंक,
6. परिदग्ध और निस्तप्त मैगनेसाइट सहित मैगनेसाइट,
7. बैराइटिस,
8. लाल आक्साइड,
9. पीला गैरिक,
10. सेलखड़ी,
11. स्फतीय (फैल्डस्पार) ।

[फाइल सं. 5(11)/88-ई आई एण्ड ई पी)]
कुमारी सुमा सुब्बन्ना, निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi the 21st July 1992

S.O. 2081.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises for a period of three years with effect from 10th May, 1991 M/s. Therapeutics Chemical Research Corporation, Hamid Mansion, 27, More Street, Madras-600001 as an agency for inspection of the Minerals and Ores Group-I and Group-II specified in schedule annexed hereto, prior to export, subject to the condition that the said agency shall give adequate facilities to any officer nominated by the Export Inspection Council in this behalf to examine the method of inspection followed by the said agency in granting the certificate of inspection under sub-rule (4) of rule 4 of the Export of Minerals and Ores Group-I and Group-II (Inspection) Rules, 1965.

SCHEDULE

MINERALS AND ORES GROUP-I

1. Manganese Ore, excluding manganese dioxide.
2. Iron Ore.
3. Ferromanganese including ferromanganese slag.
4. Bauxite including calcined bauxite.

MINERALS AND ORES GROUP-II

1. Manganese Dioxide.
2. Chrome Ore, including chrome concentrates.
3. Kyanite.
4. Sillimanite.
5. Zinc Ores, including zinc concentrates.
6. Magnesite, including dead-burnt and calcined magnesite.
7. Barytes.
8. Red Oxide.
9. Yellow Ochre.
10. Steatite.
11. Feldspar.

[File No. 5/11/88 EI&EP]
Kum. SUMA SUBBANNA, Director

संस्कृति विभाग

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1992

(पुरातत्व)

का. आ. 2082.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के संस्कृति विभाग (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) की अधिसूचना सं. का. आ. 2243 तारीख 13 अगस्त, 1991 द्वारा, जो भारत के राजपत्र में तारीख 24 अगस्त, 1991 में प्रकाशित की गई थी, उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने आशय की दो मास की सूचना दी थी और उक्त अधिसूचना की एक प्रति उक्त संस्मारक के समीप सहज दृश्य स्थान पर लगा दी गई थी ;

और उक्त राजपत्र 10 सितम्बर, 1991 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार को जनता से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ था । अतः अब, केन्द्रीय सरकार प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उपधारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करती है ।

अनुसूची

राज्य	जिला	परिक्षेत्र	संस्मारक का नाम	संरक्षण के लिए शामिल किए जाने वाले राजस्व प्लाट संख्या	क्षेत्र	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7
पश्चिमी बंगाल	कलकत्ता	स्ट्रैंड रोड, कलकत्ता	मेटकाफ हाल	म्युनिसिपल सं. 12 (ब्लाक सं. 23 राजस्व धृति सं. 20)	0.70 एकड़	उत्तर — हैयरस्ट्रीट पूर्व :—चर्चलेन में म्युनिसिपल सं. 1/1 से 1/8 तक। उत्तर—चर्चलेन में म्युनिसिपल सं. 3। पश्चिम — स्ट्रैंड रोड

स्वामित्व	टिप्पणियां
8	9
कृषि उद्यान सोसाइटी और कलकत्ता पब्लिक पुस्तकालय	

[फा.सं. 2/20/89-एम.]
एम.सी. जोशी, महानिदेशक

DEPARTMENT OF CULTURE
(ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

New Delhi, the 24th July, 1992

(ARCHAEOLOGY)

S.O. 2082.—Whereas by a notification of the Government of India in the Department of Culture (Archaeological Survey of India) number S.O. 2243, dated the 13th August, 1991 published in the Gazette of India on the 24th August, 1991. The Central Government gave two months' notice of its intention to declare the monument specified in the Schedule to the said notification to be of nalonal importance and a copy of the notification was affixed in a conspicuous place near the said monument;

And whereas the said Gazette was made available to the public on 16th September, 1991;

And whereas no objections from the public has been received by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby declares the ancient monument specified in the Schednle annexed hereto, to be of naitonal importance.

SCHEDULE

State	District	Locality	Name of Monument	Revenue plot No. included under protection	Area	Boundaries	Ownership	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8	9
West Bengal	Calcutta	Strand Road, Calcutta	Metcalfe Hall	Municipal No. 12 (Block No. 23, Revenue Holding No. 20)	0.70 Acres	North : Hare Street. East : Municipal Nos. 1/1 to 1/8 of Church Lane South : Municipal No.3 of Church Lane. West : Strand Road.	Agri-Horticulture Society and Calcutta Public Library	

[No. 2/20/89-M]
M.C. JOSHI, Director General